समाहरणालय, औरंगाबाद

(जिला नजारत शाखा)

(12)

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के लिये अल्पकालीन निविदा

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1982,दिनांक–10.07.17 के आलोक में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र को सुदृढिकरण के निमित सीलबंद लिफाफा में आवश्यक सामग्रियो/उपस्करों का दर निर्धारण एवं क्रय करने के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तीकर्ता सीलबंद निविदा जिला नजारत शाखा,औरंगाबाद के कार्यालय में दिनांक 22/02/2018 के अपराहन् 02:00 बजे तक जमा कर सकते हैं, प्राप्त निविदा उसी दिन अपराहन् 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

सामग्री/उपस्कर का विवरण निम्नवत है :–

क्र0	सामग्री का नाम	संख्या	विशिष्टि
1	2	3	4
	Group-"A"		
1	Workstation Table	04	Godrej
2	Workstation Revolving Chair	04	Godrej
3	Extra Chair for DEOC Office	04	Godrej
4	Table for EOC In-charge	01	Godrej
5	Revolving Chair for EOC In-charge	01	Godrej
6	Visitor's Chair	04	Godrej
7	Meeting Table for 12 People	01	Godrej
8	Revolving Chair for Meeting Table	12	Godrej
9	Extra Chair for Meeting Hall	10	Godrej
10	Almirah (6.5'×3')	02	Godrej
	Group-"B"		
11	Desktop Computer	02	Dell i7 Processor
12	Laser Jet Printer	02	1005 HP
13	Projector for Meeting Hall	01	DELL
14	LED T.V (32 inch) for Workstation	01	SONY
15	Photostat Machine	01	HP
16	Fax Machine With Separate Telephone Connection	01	Canon
17	Multiparty Audio and video conferencing system	01	Polycom
18	Cable Connection for T.V	01	Anchor
19	UPS for EOC	01	Exide
20	Scanner	01	H.P
21	Ceiling Fan	05	Usha
22	Tube Light	03	Anchor
23	LED Bulbs	10	Anchor
24	A/C (1.5 ton)	03	Voltas

निविदा की शर्ते :–

1. निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजात के साथ अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा।

तकनीकी निविदा :–

1. तकनीकी निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन प्रमाण–पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छाया प्रति देना होगा।
2. निविदादाता द्वारा मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपये जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, जो जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पदनाम से औरंगाबाद में विकलनीय होगा।
3. निविदादाता/फर्म को काली सूची में नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न सभी कागजात स्व–अभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।

वित्तीय निविदा :–

1. वित्तीय निविदा में सभी सामग्री का दर प्रति यूनिट सभी कर एव परिवहन व्यय सहित अंकित करना होगा।

3/2

...ते :–

1. निविदा में आपूर्त्ति किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
2. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरानामा करना होगा की आपूर्ति आदेश के पन्द्रह दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे एवं निर्धारित तिथि तक आपातकालीन संचालन केन्द्र में अधिष्ठापित कर देंगे।
3. निविदा में अंकित मूल्य पर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, औरंगाबाद में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
4. निविदा खोलने के दिन सामग्री का ब्राउसर साथ में लायेगें ताकि, उनकी डिजाईन एवं उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की जा सके।
5. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गयी सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा एवं जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही, आपूरित सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को वापस ले जानी होगी, इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।
6. स्वीकृत आपूर्त्तिकर्त्ताओं के द्वारा ससमय आदेशित सामग्री की आपूर्त्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं या अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।
7. सामग्री की आपूर्त्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत एल–1 एवं एल–2 निविदादाताओं को छोड़कर शेष जमानत राशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
9. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. आपूर्त्ति की गई सामग्री के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार देय करों की कटौती एकमुस्त भुगतान के समय की जायेगी।
11. किसी भी निविदादाता द्वारा ग्रुप–A एवं ग्रुप–B दोनो के लिए अथवा अलग–अलग निविदा भी दिया जा सकता है।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।